रिविजन चस्पा रहे। (18)
PBR/निगरानी/खण्डवा/भू.रा./2017/2248

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

राजस्व पुनरीक्षण :–

प्रस्तुत दिनांक :–

1. जीवनसिंह पिता रूपसिंह आयु 60 वर्ष
2. जितेन्द्रसिंह पिता जीवनसिंह आयु 30 वर्ष
3. संजयसिंह पिता जीवनसिंह आयु 25 वर्ष

तीनो निवासी ग्राम काल्दाखेडी तह.एवं जिला खंडवा

.....पुनरीक्षणकर्तागण

विरूद्ध

1. अर्जुनसिंह पिता गजराजसिंह राजपूत आयु 40 वर्ष

निवासी ग्राम काल्दाखेडी तह.एवं जिला खंडवा

डाक से प्राप्त

––प्रतिपुनरीक्षणार्थी

17-7-17

पुनरीक्षण पुनरीक्षण धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता।

पुनरीक्षणकर्तागण का निम्मलिखित निवेदन है :–

पुनरीक्षणकर्तागण ने यह पुनरीक्षण विद्ववान निम्न न्यायालय तहसीलदार महोदय छैगांव माखन जिला खण्डवा म.प्र. द्वारा ग्राम काल्दाखेडी तहसील एवं जिला खण्डवा के राजस्व प्रकरण कमांक 8अ/70 16–17 मे पारित आदेश दिनांक 08.06.2017 से असंतुष्ट, दुखित एवं पीडित होकर प्रस्तुत की है।

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि प्रतिपुनरीक्षणार्थी के द्वारा असत्य एवं झूठे आधारो पर भू राजस्व संहिता अंतर्गत धारा 250 के तहत प्रकरण पुनरीक्षणकर्तागण के विरूद्ध ग्राम काल्दाखेडी के खसरा नं. 263 रकबा 0.07 हे. भूमि पर से पुनरीक्षणकर्तागण का वैध कब्जा हटाये जाने बाबद् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त आवेदन पत्र को माननीय तहसीलदार महोदय वृत्त छैगांव माखन द्वारा गुण दोषो पर निराकृत किए बिना ही पुनरीक्षणार्थी के पक्ष में दिनांक 08.06.17 को आदेश पारित कर दिए है उक्त आदेश से असंतुष्ट एवं पीड़ित होकर निम्न आधारो पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत है।

जीवनसिंह

निरं.....02

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक अध्यक्ष / निगरानी / खण्डवा / भू.रा. / 2017 / 2248

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-8-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार छैगांव माखन जिला खण्डवा के प्रकरण कमांक 8 / अ–70 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 08.06.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के साथ स्थगन संबंधी आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। 2–प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदक द्वारा ग्राम काल्दाखेडी के खसरा न0 263 रकबा 0.07 है0 भूमि पर से आवेदक का वैध कब्जा हटाये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया थ । उक्त आवेदन पत्र को नायब तहसीलदार वृत्त छेंगाव माखन द्वारा बिना आवेदक के सुने कब्जा हटाये जाने का आदेश दिनांक 8.6.17 पारित किया है इससे परिवेदति होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक अधिवक्ताा के तर्क सुने तर्को में उन्हें तथ्यों को दोहाराया गया हे जोउनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन करने पर पाया गया कि ग्राम काल्दाखेडी के खसरा न0 263 रकबा 0.07 है0 भूमि अनावेदक द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र सेकय की गई है और कय दिनांक से ही उसका कब्जा है लेकिन आवेदक द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया गया है । हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन में बताया गया है कि	

प्रकरण कमांक अध्यक्ष/निगरानी/खण्ड़वा/भू.रा./2017/2248

ग्राम काल्दाखेडी के खसरा न0 263 रकबा 0.07 है0 राजस्व अभिलेखों में अनावेदक अजुर्नसिंह पिता गजराजसिंह के नाम पर दर्ज है । उक्त भूमि पर आवेदक जीवन सिंह का लगभग दो वर्षो से कब्जा है। हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर एवं साक्षियों के गवाहो के अनुसाऱ नायब तहसीलदार छैगांव माखन जिला खण्डवा के प्रकरण कमांक 8/अ–70/2016–17· में पारित आदेश दिनांक 08.06.17 में आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है।

सदस्य